राजस्व
न्यायालय माननीय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

154

निग. 632-II/07

श्री प्रमोद गोस्वामी ए.डी. द्वारा आज दि. 9-4-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

9/4/07
प्रमोद गोस्वामी एडवोकेट

1. नरेन्द्र कुमार
2. मुकेश कुमार पुत्रगण प्रेमचन्द्र शुक्ला
   निवासी बड़ोदा परगना व जिला श्योपुर
   .... आवेदकगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी
   कस्बा बड़ोदा परगना व जिला श्योपुर म.प्र.
   .....असल अनावेदक
2. रामप्रताप पुत्र बिहारी लाल निवासी बड़ौदा
   हाल निवासी हाडोनी स्कूल किशोरपुरा
   कोटा राजस्थान मृतक द्वारा वारिसान
1. गंगाबाई बेवा रामप्रताप, आयु 83 वर्ष,
   निवासी बड़ौदा
2. नंदकुंवर पुत्री रामप्रताप पत्नी श्री घनश्याम
   सिंह निवासी कोटा , राजस्थान
3. श्रवणसिंह पुत्र रामप्रताप निवासी कोटा
4. उमिला बाई पुत्री रामप्रताप सिंह पत्नी
   रघुवीर सिंह निवासी हाड़ा शिवपुरी
5. चन्द्रकुंवर बेवा मूलचन्द्र
6. जोधराज सिंह पुत्र मूलचन्द्र आयु 18 वर्ष
7. बृजरात सिंह पुत्र मूलचन्द्र आयु 16 वर्ष
8. सूरज सिंह पुत्र मूलचन्द्र आयु 10 वर्ष
9. भारत सिंह पुत्र मूलचन्द्र आयु 12 वर्ष
   कमांक 7 लगायत 9 नाबालिग सरपरस्त
   मॉ चन्द्रकुंवर निवासी बड़ौदा जिला श्योपुर
   .....3 लगायत 9 प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / रेस्पो. अनावेदक

—2—

पुनरावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू राजस्व संहिता 1959 आदेश दिनांक 21.03.2007 प्रकरण कमांक 2004/05 (दो) निगरानी पारित द्वारा न्यायालय श्री कक्कड सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 632–दो/2007 जिला –श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–06–16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये। । आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2004–दो–/2005 आदेश दिनांक 21.3.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 632–दो/2007 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2004–दो/2005 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 21.3.2007 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 632–दो/2007 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि उभयपक्ष के बीच राजीनामा हो चुका है । किन्तु समझौता विलेख अथवा पक्षकार पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं किये है । उपरोक्त स्थिति में रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य